सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

वाद सं. 129/10 शीर्षक ....कपोतीमल.... बनाम ....महेश कुमार....

बनाम.....

प्रकरण	हस्ताक्षर
अभि पक्ष अधि० [illegible] पालना मे [illegible]/1/18 को पेश	
अभि पक्ष अधि० [illegible] मे प्रगावली पेश हो।	
अभि पक्ष अधि० [illegible] पालना मे पेश हो।	
अभि पक्ष अधि० [illegible] पर अपना [illegible] तलब किया [illegible] के कारण की [illegible] अ.नि. किया [illegible] पर किया [illegible] द्वारा वादी के [illegible] कि [illegible] [illegible] 5 से 10 पर [illegible]/2/18 को पेश	

कार्यवाही प्रकरण

[illegible]/2/18 प्रगावली पेश हुई। अभि पक्ष अधि० [illegible] अधिवक्ता पक्षकारान कि प्रपत्र द्वारा 10 cpc पर विलेख बदल दुनी गयी। अधि प्रतिवादी / प्रार्थी ने बताया कि विक्रय पत्र वाइगुल आराजीयात के संबंध मे एक दावा सिविल कोर्ट के प्रकरण संख्या 18/10 का निर्णय नही हो जाता है तब तक उक्त वाद कि कार्यवाही को स्थगित फरमाया जावे। अधि वादी / अप्रार्थी ने भी सिविल जिला न्यायाधीश महे राजसमंद के यहां उक्त वाइगुल भूमि के संबंध दावा चल रहा है स्वीकार किया है। प्रगावली का अवलोकन किया गया। तो पाया गया कि इन्ही पक्षकारो द्वारा ही वाइगुल भूमि के विक्रयपत्र को निरस्त कराने का दावा माननीय सिविल न्यायालय मे प्रकरण दर्ज होकर जब तक उक्त दावे का निस्तारण नही हो जाता है तब तक उस दावे कि कार्यवाही स्थगित कि जाती है। प्रगावली फैसल शुमार होकर नम्बर से बाद कि जावे।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा